Review of Research
International Online Multidisciplinary Journal

ISSN : 2249-894X Impact Factor 3.1402 (UIF) Volume -5 | Issue - 6 | March - 2016

भारतीय संविधान और मानव अधिकार एक दर्शन

मनोज कुमार
शोध छात्र, सामाजिक विज्ञान संकाय इतिहास विभाग
ल०ना०मि०वि०वि०, दरभंगा। (बिहार)

भूमिका–

भारत की सभयता एवं संस्कृति लगभग पाँच हजार वर्ष पुरानी है। खास बात यह है कि इतने लम्बे वर्षो की विरासत हमारी परम्परा में जीवित है। मानव अधिकार के बारे में भारत में सदैव नैतिकता के व्यापक प्रसंग में विचार होता रहा है। अंग्रेजी शब्द 'राइट' से अधिक व्यापक अर्थ हिन्दी 'अधिकार के वल पश्चिमी अवधारणा है। संगत पूर्ण नहीं है।[1]

प्राचीन भारतीय सभ्यता में धर्म की अवधारणा में ही व्यापक मानवीय सामाजिक व्यवस्था के रूप में मानव अधिकारों की चर्चा भी की गयी थी। इस अर्थ में पश्चिमी आधुनिक विचारधारा एवं प्राचिन 'भारतीय', 'धर्म' के रूप में मानव अधिकारों की संकल्पना की गयी थी। दोनों विचारों का दृष्टिकोण अलग–अलग था प्राचीन हिन्दु सभ्यता में मानव अधिकार संबंधी आधुनिक संकल्पना की जड़े मौजूद है। वास्तव में यह कि मानव अधिकार की संकल्पना पश्चिमी सभ्यता एवं विचारों की देन है। उपनिवेशवादी मानसिकता की उपज है। इतना स्पष्ट है कि मानव अधिकार की अवधारणा प्राचीन भारतीय सभ्यता में भी चिंतित एवं विचारणीय थी। राजा परम्परा एवं प्रथाओं का सम्मान भी करता था वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता आदि सभी महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथ इस सत्य पर जोर दे रहे थे कि सत्य एक है तथा परमात्मा सभी मानव में विधमान रहता है। भारतीय साहित्य धार्मिक खोज एवं नियमों के अतिरिक्त सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने वाले दार्शनिक संकल्पनाओं से भी भरे पड़े है। इस प्रकार इस व्यापक अर्थ में एक मानवीय अधिकार की अवधारणा का भी विकास हो रहा था।[2]

महाभारत का तो यह सूत्र वाक्य ही है कि मनुष्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। 'भगवद्गीता' जो महान माकात्य महाभारत का एक भाग है मानव के लिए उसके कर्त्तव्य में नियोजित करने की शिक्षा देता है। जहाँ तक व्यक्ति का संबंध है महावीर जैसे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर विशेश बल दिया है। मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, विचारक चाणक्य (कौटिल्य) विष्णुगुप्त ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजनीतिक,

आर्थिक, सामाजिक विधान का निर्धारण किया है। उसने इस बात पर बल दिया कि प्रजा के हितक में ही राजा का हित ह।[3]

अशोक राजदर्शन का आधार उसके मानवीय सिद्धांत पर आधारित था यह सिद्धांत, दया, मानवता, करूणा, प्रेम पर बल देता था। मध्यकालीन भारत में भी मानव अधिकार किसी न किसी रूप में विधमान था 'अब्दुल अजीज' जैसे इस्लामी विद्वान के अनुसार, इस्लामी परम्परा के अनुसार मानव अधिकार व्यक्तिगत गरिमा के आधार पर विकसित हुआ है जिसका लक्ष्य मानवीय समाज की रचना करना है। मुगल कालीन भारत को इस संदर्भ में नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। अकबर एवं जहॉगीर की न्यायप्रियता इस संदर्भ में उल्लेखनीय है अकबर ने अपने धर्मिक नीति 'दीन–ए–इलाही' कि द्वार अपनी जनता को धार्मिक सहिब्णुता का पाठ पढ़ाया। आधुतिक युग नए भारत के उदय का काल भी था। मध्यकालीन सामाजिक बुराईयों जैसे सतीप्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, तथा अन्य मानवीय परम्पराओं के खिलाफ इस समय जबरदस्त आंदोलन किया गया राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानन्द, ज्योतिबा फूले, नारायण गुरू जैसे धार्मित सामाजिक सुधारकों ने सदैव मानवीय गरिमा के लिए संघर्ष किया।[4]

भारतीय संविधान 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान में मानव के मूलभूत अधिकारों के लिए अलग अध्याय तीन की नियोजना की गयी है। मानव समाज में व्याप्य विषमता को दूर करने का प्रयास भी भारतीय विद्यान के द्वारा किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मूलभूत अधिकरों की सुरक्षा के लिए संविधानिक उपचार किए गए है। भारत के सभी नागरिकों के लिए समाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, समानता एवं न्याय को सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी हमारे संतिधान में है।[5]

स्वतंत्रता के बाद से भारत ने सदैव मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली को अपनाया – भारत के पड़ोसी देशों का उदाहरण देखें तो करीब–करीब हर देश में लोकतंत्र पर चोट की गयी है। वहाँ की जनता को लगातार तानाशही शासन व्यवस्था का शिकार होना पड़ा है।

सबको मताधिकार बहुराजनीतिक दल, कानून का शासन यह तीन मुख्य गुण हमारे लोकतंत्र की आधार है। भारतीय न्यायपालिका की संक्रियता, स्वतंत्र प्रेस, स्वस्थ जनमत भारतीय प्रजातंत्र के रक्षत एवं पहरी है।[6]

हमारी राजव्यवस्था इन उपायों एवं उदेश्यों के बाबजूद भारत के विभिन्न क्षेत्रों से मानव अधिकारों के उल्लंघन एवं हिंसा के समाचार मिल रहे हैं। यह विशेषट तीन स्तरों पर मिलता है। व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक और राज्य स्तर पर, भारत की अधिकांश जनता गॉवों में बसती है। जनसंख्या का यह विशाल वर्ग गरीब और अशिक्षित है। इसलिए आसानी से इनका शोषण किया जा रहा है। बालश्रम और बंधुआ मजदूरी इसका उदाहारण है।[7]

जमींदार, स्वार्थी राजनीतिक, जनजातियों के नेता लगातार शोषण कर रहे है। साम्प्रदायिक दंगा, दहेज, सामाजिक संघर्ष, जातीय संघर्ष राजनीतिक अपराधीकरण जैसी चुनौतियों से भारत जूझ रहा है। इस तरह की हिंसा में मानव अधिकार का बहुत उल्लंघन हो रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडू, राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश में इस तरह की घटनाएँ ज्यादा हो रही है। राज्य के स्तर पर पुलिस हिरासत में मौते हो रही है। पुलिस और अर्द्ध सैतिक बलों द्वारा कहीं–कहीं अधिकरों का उल्लंघन हो रहा है। शर्मनाक स्थिति यह है कि अभी भारत में कुछ दनमकारी कानून विध्यमान है।[8]

मानव अधिकार को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने कमजोर वर्गो के हिंतो को लिए आयोग का गठन किया है। अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति, जनजाती आयोग का गठन किया है। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है।[9]

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

1. मानव अधिकारों का वर्गीकरणः– मानव अधिकारों का वर्गीकरण दो आधारों पर किय जा सकता है।
1. जीवन के विविध क्षेत्रों के आधार पर।
2. अधिकारों के बनाए रखने वाले संविधानिक या कानूनी आधार पर।

i. प्राकृतिक अधिकार :– प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार है जो मानव स्वभाव में ही निहित है। स्वप्रज्ञा का अधिकार, मानसिक स्तर का अधिकार जीवन का आधार आदि इसी कोटि में आते है।

ii. नैतिक अधिकार :– नैतिक अधिकार निष्पक्षता और न्याय के सामान्य सिद्धांतों पर अधारित है समाज में मानव इन अधिकारों को प्राप्त करने का आर्दश रखता है।

iii. मौलिक अधिकार :– मौलिक अधिकार वे अधिकार है जिनके बिना मनुष्य का विकास नहीं हो सकता है। जैसे जीवन का अधिकार, मानव जीवन का मूलभूत अधिकार है इन अधिकारों की रक्षा करना प्रत्येक समाज का मूल कर्त्तव्य है।

iv. कानूनी अधिकार :– कानूनी अधिकार का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के कानून के समक्ष समान समझा जायेगा तथा साथ ही कानूनों का समान संरक्षण भी दिया जाना चाहिए।

v. नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार :– नागरिक और राजनीतिक अधिकार राज्य द्वारा स्वीकार किया जाता है। यह सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। प्रत्येक देश के राजनीतिक क्रिया–कलापों में जिम्मेदारी एवं भागीदारी निभाना इस तरह के अधिकारों का सर्वाधिक मुख्य लक्षण है।

vi. आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार :– इस तरह के अधिकार बहुत व्यापक होते है। प्रत्येक राज्य में अपनी परम्परा एवं सभ्यता के अनुसार इन अधिकारों को लागू किया जाता है। जैसे समाजवादी राज्यों में काम का अधिकार, समानता का अधिकार महत्वपूर्ण है तो दूसरी तरफ पुँजीवादी राज्यों में स्वतंत्रता का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अध्याय चार के नीति निदेशक तत्व मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक एवं संस्कृतिक अधिकारों की मांग राज्य से करती ह।

vii. शिक्षा का अधिकार :– भारतीय संविधान में 1 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा का अधिकार निःशुल्क मिला है जो जन–जनत क नहीं पहुँच पाया है। क्या समाज का विकास हो सकता है। जिसके कारण समाज पिछड़ा हुआ है। सबसे अधिक अनु०जाति/अनु०जन–जाति का बच्चों या महिला बहुत अधिक शोषण या उत्पीड़न हो रहा है।[10]

निष्कर्ष :–

भारत में मानव अधिकारों का विकास एक जटिल, संगठित प्रक्रिया के अन्तर्गत हुआ है। हमारी अपनी लम्बी परम्परा में विविध संस्कृतियों के जीवन आदर्श परम्पराओं एवं दर्शनों ने मिलकर एक समन्वित (मिला–जुला) मानवीय अधिकार का विकास किया है। भारतीय दृष्टिकोण सदैव अधिकारों के साथ ही साथ मनुष्य के कत्तव्यों पर भी बल देता रहा है। यहाँ अधिकार और कर्त्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू समझे गए है। मानव अधिकार भारतीय संदर्भ में सदैव व्यक्ति से समाज तक फैला था। प्रत्येक आदमी का हित व्यापक अर्थ में सामाजिक हित में मिला हुआ है। भारतीय राष्ट्री आंदोलन ने सदैव शोषण के खिलाफ संघर्ष किया, गहरे स्तर पर यह संघर्ष मानवता के लिए संघर्ष था।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–15 के अनुसार लिंग के आधार पर किसी के साथ भेद–भाव नही करने का उल्लेख है फिर भी लिंग के आधार पर भेद–भाव हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ० डी० एन० झा, प्राचीन भारत का इतिहास, नई दिल्ली (1985)
2. Romila Thapar, Ancient Indian Social History, Hydrabad (1978).
3. Om Prakash Food and Drinks in Ancient India, Delhi (1961)
4. R.K. Mookerji, Ancient India, Allahabad (1956)
5. D.D. Kosambi, An Introduction to the Study of India History, Bombay (1956)
6. शस्त्री, रजनीकांत, हिन्दू जाति का उत्थान और पतन, इलाहाबाद, 1996।
7. डॉ० अरूण राय, भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, 2008 नई दिल्ली।
8. डॉ० मंजु लता, अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न, 2009 नई दिल्ली।
9. डॉ० देवेन्द्र पाल सिंह तोमर, हिन्दु अछूत जातियों में छुआछूत, 2009 नई दिल्ली।
10. डॉ० संजीव महाजन, सामाजिक अनुसन्धान सर्वेक्षण, 2008 नई दिल्ली।